Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XIV, Issue No. 2, January-2018, ISSN 2230-7540

सामाजिक परिवर्तनः- कमजोर वर्ग की परिवर्तित संवैधानिक परिस्थितियाँ

Gaurav Chaudhary*

Research Scholar, Law Department, Mahatma Jyotiba Rao Phule University, Jaipur, Rajasthan

सार – ***भारत न केवल एक विशाल देश है, बल्कि एक विकासशील बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र भी है, जहां अनैक विविधताऐं देखने को मिलती है। इन विविधताओं में सामाजिक परिवर्तन का काम करना अत्यधिक जटिल एवं समस्यात्मक होता है। हमारे देश के विशाल क्षेत्र को देखते हुए जनसंख्या, धर्म, भाषा, जाति आदि में बहुल्यतावाद देखने को मिलता है। इन सभी पहलुओ को ध्यान में रखते हुए सामाजिक परिवर्तन का कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।***

----------X----------

परिचय:

भारतीय संविधान ने हमें एक ऐसी जीवन शैली से लैस किया है, जो वोट आधारित व्यवस्था की मान्यताओं के अनुरूप है। ये मानक सामान्य लोगो को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समता देकर स्थापित किए जाने चाहिए। भारत एक विशाल विषम समाज है जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सामाजिक प्रकृति में अंतर है। हमारे संविधान के रचनाकारों को इस बात के बारे में पता था कि हमारे जैसे जाति-ग्रस्त समाज में, विशिष्ट जातियों और वर्गो का सामाजिक रूप से दुरूपयोग किया जाता है, आर्थिक रूप से जीवन की मर्यादा के साथ चलना है और शैक्षिक रूप से परिवार के आदान-प्रदान या व्यवसाय में लेने के लिए मजबूर किया जाता है। समाज द्वारा हर जाति और वर्ग के लिए तय की गई शिक्षा को लम्बे समय तक लेना।

संविधान सभा ने संविधान में व्यवस्थाओं को शामिल करने के लिए यह महत्वपूर्ण लगा दिया, जो सामान्य व्यवस्था के लिए एक अनोखा मामला होगा, जो समानता सुनिश्चित करने के लिए ‘‘कमजोर वर्गो’’ की सहायता करने के लिए सरकार को सशक्त बनाने के लिए बाकी समय के साथ खोए हुए समय के लिए बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इन व्यवस्थाओं को 15(4) में सम्मिलित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि “29 में से कुछ में या खण्ड 2 में कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो राज्य को 340 के माध्यम से किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिको की प्रगति के लिए कोई अनूठी व्यवस्था बनाने से नहीं रोकना चाहिए, जो बाद में शामिल हो गया।[1] प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान के माध्यम से, संविधान के 15 के तहत क्लॉज़ (4) के रूप में शामिल किया गया, जिसने शैक्षिक नींव में आरक्षण की व्यवस्था की, जिसके परिणामस्वरूप भारत ने इस तैयारी के लिए सही माहौल बनाया। ‘विधि विभाग महात्मा ज्योतिबा राव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर

भारत का वर्तमान स्वरूप अनैक प्रकार के प्रयत्नों का परिणाम है कि समाज का यह कमजोर वर्ग, पिछड़ा, वंचित वर्ग आज एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने की ओर अग्रसर हो पाया है। इन्हें यह सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार भारत के संविधान ने गारन्टी के रूप में प्रदान किया है। जैसा कि अनुच्छेद-15 व 16 में उपबंधित है।[2]

अनुच्छेद-15(1) के अनुसार राज्य इन विषयों पर जैसे- जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म आदि पर समाज में भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इन समाज के दबे कुचले, पिछड़े, कमजोर वर्गो के लिए उपबंध कर सकता है, अर्थात अनुच्छेद-15(1) एक सामान्य सिद्धान्त है, जो संविधान की मूलभूत संरचना को दर्शाता है। इसके साथ ही अनुच्छेद- 15 के शेष उपबंध इस समाज के, इस तबके के उत्थान के लिए अनैक प्रकार से संवैधानिक व्यवस्था करते है। 60 और 70 के दशक के भीतर यह संवैधानिक उपबंध केवल अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए ही लागू किये गये थे, लेकिन मण्डल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार और इन्द्रा साहनी के वाद के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी यह उपबंध का रास्ता सुगम कर दिया। अनुच्छेद-15(4) और

www.ignited.in

15(5) इन वर्गो के उत्थान के लिए स्पष्ट रूप से बनाये गये है, जिसके द्वारा इन वर्गो की वर्तमान स्थिति एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने की है और समाज में एक विशेष रूप से इनको मान सम्मान प्रदान करती है, जो प्राचीन भारत की परिस्थितियों में देखने को नहंी मिलता। इसे वर्तमान संविधान में यह अधिकार प्रदान कर दिया गया है। संविधान संशोधन प्रथम के द्वारा चम्पाकन दोइराजन के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के प्रभाव को खत्म करने के लिए संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था, जिसमें सामाजिक प्रावधान की प्रगति के लिए राज्य द्वारा कोई विशेष प्रावधान किया जा सकता है।[3]

इस प्रकटीकरण के बावजूद स्वीकार किया और संविधान की चिन्ता का विषय है, लक्ष्यों को पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया है और जो कुछ भी किया गया है व हिचकिचाहट, कमजोर रूप से और रियासत के अनुपात के रूप में किया गया है, जो यह देखते हुए कि हम वहां संवैधानिक अधिकारों का प्रबंधन कर रहे है और उन पर प्रवेश नहीं कर रहे है। वर्ग यह देखने के लिए सूचनात्मक है कि सामाजिक तत्वों एक विशिष्ट ढांचे का निर्माण करने के लिए वित्तीय, कानूनी और राजनैतिक तत्व कैसे खेलते है। संविधान ने मौलिक अधिकारों का एक उन्नत मिश्रण और निर्देशन की एक व्यवस्था बनाई है, जिसमें राज्य को उन्नत करने और विषयों के प्रति प्रतिबद्धता की मांग की गई है, अधिकारों में संतुष्टि जो मूल स्थिति को सामाजिक न्याय के साथ उसके विकास और उन्नति की अनुमति देती है। जैसे समान अवसर, काम करने का अधिकार और आवश्यक जरूरतों तक पहुंचे और बिना भेदभाव के अवसर प्रदान करना। इस प्रकार भारतीय संविधान विधि सम्मत ढांचा, सामाजिक विकास के तत्व और सामाजिक राजनैतिक प्रक्रियाओं द्वारा सामाजिक शक्तियों का एक समन्वय प्रस्तुत करता है, जिससे देश आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और समान न्याय की सभी को उपलब्धता हो सके। आर्थिक विकास की प्रक्रियाएं वास्तव में निष्पक्ष वेतन प्रसार का संकेत नहीं देती है। सच कहा जाए तो इनका परिणाम सामान्य जनसंख्या के थोडे से स्तर पर राष्ट्रीय और सामाजिक सम्पत्तियों की नियुक्ति में होता है। जबकि पूरे वर्ष में शिक्षा, भलाई, परिवहन और तृतीयक डिवीजनों के क्षेत्र में सामाजिक प्रशासन का विस्तार हुआ है, उनकी सभी समावेशी पहुंच में एक विशेषता में परिवर्तन हुआ है। इस दृष्टि से भारत में विशाल परिधि के अंदर प्रशासन और संसाधनों के विकास के प्रत्येक भाग तक ही निरन्तर विनियोजित किया है।

अनुच्छेद 15(4) के तहत शैक्षिक संगठनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गो को आरक्षण दिया जाता है। चंपाकम दोईराजन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 1951 में संविधान संशोधन के प्रथम संशोधन को प्रेरित किया है। मुख्य संशोधन में अनुच्छेद 15(4) का उल्लंघन करते हुए राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए असामान्य व्यवस्था का अधिकार दिया है। इस प्रारम्भिक खण्ड में, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के चुने हुए उदाहरणों की सहायता से न्यायपालिका के कार्य की जांच और परिकल्पना की जाती है। समाज में अल्पसंख्यकों के बारे में सरकारी नीति की संवैधानिक वैधता को चुनने में अदालत का काम इस कारण से अनिवार्य है कि अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गो एवं सम्मिलित रूप से कमजोर वर्गो की सरकार द्वारा सरकारी नीति के विभिन्न प्रयासों द्वारा उनके उत्थान के लिए व्यवस्था की गई है। कमजोर वर्गो के लिए समाज में अनैक प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि के रूप से सरकार द्वारा अनैक रूप से प्रयास किए जा रहे है। इस प्रकार अंतिम रूप से उच्चतम न्यायालय के द्वारा समाज के इस दबे-कुचले वर्ग के लिए न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा ही उन्हें अपने स्तर के अनुरूप न्याय प्रदान किया जाता है।

अनुच्छेद 16(4) के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गो के लिए काम में आरक्षण दिया जाता है। इस भाग में आरक्षण नीति की संवैधानिक वैधता को चुनने में अदालत का काम इस कारण से अनिवार्य है कि अनसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछडे वर्गो के आरक्षण को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की नीति के विभिन्न हिस्सों में न्यायपालिका द्वारा ढाला गया है।

मामलों की बात करते हुए आरक्षण नीति की संवैधानिक वैधता की विभिन्न उप-शीर्षो के तहत जांच की गई है। मूल रूप से कमजोर वर्गो के हिस्सों में पिछडेपन को चुनने के लिए मापदण्ड है कि सामाजिक पिछडापन मापदण्ड है या शैक्षिक पिछड़ापन या दोनो या आर्थिक पिछड़ापन दोनो को इस व्यस्था का आधार बनाया गया है।

यदि कोई इस मुद्दे की निष्पक्ष जांच करता है तो समझ जाएगा कि कमजोर वर्ग के उत्थान एवं विकास के लिए आरक्षण के रूप में एक व्यवस्था की गई है, जिसके पीछे की उम्मीद दोषपूर्ण नहीं है। सिवाय कि यह सुझाव और इसका उपयोग अपर्याप्त है, जिसने अपर्याप्त प्रदर्शन किया है। इन सभी वर्षो में जिस तरह से आरक्षण को वास्तविक रूप दिया गया है, उसने समाज में जाति के शोधन को बढाया और बढा दिया है। गरीब लोगो और गरीबी से त्रस्त लोगो को कमजोर कर दिया है और हाल ही में संकेतित पिछड़े वर्गो की सबसे ऊँची परत को फायदा पहुंचाया है। आरक्षण का लाभ समाज के सबसे न्यूनतम क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए उपेक्षित हो गया है। इसके अलावा, इसने भाईचारे और ध्वनि प्रतियोगिता की आत्मा को मार डाला है।

www.ignited.in

आगे बढने और आगे बढने की लालसा। जाति की अवधारणा पर निर्भर आरक्षण इसलिए, एक सामान्य अर्थ में गलत है और बाद मं एक निराशा के रूप में समाप्त हो गया है। इस तरीके से आत्मनिरीक्षण का समय आ गया है, जबकि राजनैतिक लाभ की उत्सुकता को अलग रखते हुए और चिन्तन करे, जहां चीजें बुरी तरह से समाप्त हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी वास्तव में काले घोड़े के कल्याण के बारे में नहीं सोचता है, फिर भी समय समय पर चुनावों के लिए राजनैतिक लिफ्ट के विस्तार की गांठ को छूने की जरूरत है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुछ समय पहले समाज में अल्पसंख्यकों के बारे में सरकारी नति के लिए कोटा प्रणाली को बंद कर दिया है। उन्होने एक बिन्दु प्रणाली स्थापित की है, जिसके तहत अश्वेता, पिछड़े जिलो, बसने वालो और इसके आगे के अभ्यर्थियों को पुष्टि और व्यवस्था पद्धति में कुछ अतिरिक्त ध्यान दिया जाता है। यह पीढी की कीमत पर एक अस्थिर वृद्धि का संकेत देता है। अतिरिक्त इंगित करता है कि बस उपायों के एक अस्थिर कम नेतृत्व। दिलचस्प बात यह है कि कोटा प्रणाली उपायो को कम करने का संकेत दे सकती है। तुलनीय मामला दक्षिण अफ्रीका का है जहां नया संविधान समाज में अल्पसंख्यकों को लेकर सरकारी नीति के एक कार्यक्रम की कल्पना करता है।

भारत का प्राचीन इतिहास में कमजोर वर्गो/ वंचित समूहों की स्थिति अत्यधिक देयनीय थी, इसलिए उनका उत्थान करने के लिए समय समय पर सरकार के द्वारा अनैक प्रकार के प्रयास किये गये।[4] जैसे- सरकार ने उन्हें विशेष रूप से शैक्षणिक प्रतिष्ठान और सार्वजनिक नौकरियों में कोटा या आरक्षण की सुविधा प्रदान की। हालांकि वर्तमान में जब आजादी के इतने वर्षो के बाद आरक्षण की नीतियों का अध्ययन करते है तो इस निष्कर्ष पर पहुंच पाते है कि आरक्षण जिस उद्देश्य से लागू किया गया था, उसका उसी उद्देश्य के अनुरूप पालन हुआ या नहीं, यह संदेहासात्मक और विवादास्पद का विषय है। पिछड़े कमजोर वर्गो के साथ साथ अल्पसंख्यक, महिलाओं आदि के उत्थान के लिए भी समय समय पर अनैक राज्य एवं केन्द्र सरकार के द्वारा अनैक प्रकार से सुविधाऐं प्रदान की गई है।[5] इन सुविधाओं का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त असमानता की बाधाओं को दूर कर सकारात्मक उपायो को बढ़ावा देना और विभिन्न समुदायो को स्वतंत्रता का आनन्द लेने और संविधान द्वारा गारन्टीकृत लाभों को साझा करने में सक्षम बनाना है। इसके साथ साथ राज्य का भी कर्तव्य है कि शिक्षा के संदर्भ में कोई भी उपाय जो ज्ञान सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है, जिससे कमजोर पिछड़े वर्गो का बौद्धिक स्तर का विकास होता है। उनका निरन्तर प्रचार प्रसार करना आवश्यक है।[6] साथ ही राज्य द्वारा इनके विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा इस कमजोर तबके के विकास के लिए अनैक प्रकार से समय समय पर उचित कार्य करना भी आवश्यक है।

कमजोर वर्ग की उत्पत्ति का मुख्य आधार जाति हो सकती है। जाति वंगानुगत समुहन हो सकती है, जो युगो के दौरान जीवित रही है।[7] ग्रिवे ने अपनी आरम्भिक पुस्तक जाति और रेस में भारत के बारे में ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में मुख्य रूप से विभाजित वर्गो और उस समय कार्यरत् मजदूरों की जाति के बारे में विस्तार से गहन अध्ययन किया और लिखा कि शहरी क्षेत्रों में विभिन्न जातियों के लोगो ने साथ काम किया, रहना साथ शुरू किया। इस तरह अन्तर-भोजन, भोजन का साझाकरण होने लगा। शहरीकरण ने कमेन सिटी के सिद्धान्तों को कमजोर कर दिया। सन् 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। औद्योगिक उद्यम और शहरीकरण के अलावा, वर्ग संरचना को प्रभावित करने वाले अनैक कारको का उन्मूलन हुआ। जैसे- रियासतों का उन्मूलन, कई नये कानूनो को लागू करना, शिक्षा का बहिष्कार, सामाजिक धार्मिक सुधार आन्दोलन, पाश्चात्यकरण, अमूर्त गुणवत्ता और विकास, बाजार की अर्थव्यवस्था आदि का कमजोर वर्गो के ऊपर अनैक प्रकार से प्रभाव पड़ा।[8]

कमजोर वर्ग का परिवर्तित स्वरूप:

सामाजिक रूप से गरीबो के पक्ष में पूरी तरह से राष्ट्रवादी आन्दोलन से उनके पक्ष में महसूस किये जाने वाले अनैक प्रकार के भेदभावों का दमन हुआ और संविधान के अनुच्छेद-15 व 16 के द्वारा इनके उत्थान के लिए अनैक प्रकार से उपर्युक्त अनुबन्धों की रचना की गई। साथ में ही राष्ट्रपिता मोहनदास कर्मचन्द गांधी के अथक प्रयासों से वर्गो में आये अनैक विरोधाभासी दरारों को भरने का कार्य किया गया। गांधी जी के द्वारा अनैक प्रकार से सभी वर्गो खासतौर से उस समय के पीड़ित, निर्धन, अछूत वर्गो की सेवा-सुश्रुषा कर एक अकल्पनीय उदाहरण पेश किया गया।[9] गांधी जी की इस नीति को अध्यात्मिक रूप से दृष्टिगत् करे तो तत्कालीन भारत की विरोधाभासी सामाजिक परिस्थितियों में सेतूबंध का काम करती है। सन् 1935 के अधिनियम में भी अनुसूचित जाति-जनजाति के उत्थान के लिए सकारात्मक रूप से प्रावधान बनाये गये थे, जो विभाजित भारत की आजादी के बाद लगभग एक तिहाई हिस्से में प्रवेश कर गये, उनके लिए संरक्षित संसदीय सीटों को आरक्षित करने के अलावा स्कूलों में प्रवेश के संदर्भ में लाभ के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्रों में, सरकारी नौकरियों में अनैक प्रकार के प्रावधान वर्तमान भारतीय संविधान के लिए उपलब्ध करवाये गये है। इसी तरह

संविधान ने कानून के द्वारा सभी मतदाताओं की समानता के मौलिक अधिकार को सुरक्षित कर दिया है, लेकिन साथ ही बिना शर्त यह भी प्रावधान किया गया है कि संविधान सामाजिक शैक्षणिक रूप से वंचित समूहों की उन्नति के लिए राज्य को कोई विशेष प्रावधान बनाने के लिए नहीं रोकेगा। भारतीय संसद में सामाजिक रूप से कमजोर, पिछड़े, वंचित वर्ग के लिए विशेष चिन्ता एवं उनके द्वारा इन वर्गो के उत्थान के लिए समय-समय पर उचित एवं त्वरित कार्यवाही करने का समग्र प्रयास किया जाता है।[10]

हमें उन लोगो को पहचानना होगा जो अत्यन्त गरीब, हतोत्साहित और वंचित है। उस बिन्दु पर, हमें उन्हें उचित प्रोत्साहन के साथ प्रस्तुत करना होगा, उदाहरण के लिए शिक्षा, उद्घाटन और वित्तीय प्रायोजन। उसके बाद वास्तविक क्षमता और परिश्रम से काम किया जाना चाहिए और स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति को केवल इस तथ्य के बावजूद कि वह कम से कम योग्यता के आधार पर जाति के आधार पर सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। प्रमाणिकता इस तरह से प्रकाश की कसौटी होनी चाहिए कि देश को अपने लोगो की सबसे अच्छी जरूरत है न कि उन लोगो को जो बाहरी और अवांछनीय केन्द्रीय बिन्दुओ से लैस कर रहे है, क्योंकि उनके पास समाज के एक क्षेत्र के साथ एक स्थान है जो सौभाग्य से है युवा के रूप में संविधान में अलग। सौभाग्य से अपरिपक्व के रूप में संविधान में अलग रखा गया है। समाज के एक आरक्षित वर्ग से होने वाले सौभाग्य से या दुख की बात है कि एक और कम योग्यता वाले उम्मीदवार को याद करने के लिए एक अच्छे भविष्य वाले उम्मीदवार को एक अच्छे भविष्य वाले उम्मीदवार को देखना कितना निराशाजनक है। किस कारण से एक व्यक्ति को केवल इसलिए सहन करना पड़ता है क्योंकि वह कथित रूप से समाज के कथित इष्ट वर्ग का एक टुकड़ा होता है या राज्य की दोषपूर्ण नीति के परिप्रेक्ष्य में होता है।

निष्कर्ष:

अनुसंधान विद्वान ने भारत में वर्ग संरचना की व्यापकता और संविधान के साथ इनके संबंध को निरूपति करने का सबसे सरल सम्भावित प्रयास किया है। यहाँ तक कि समाज के कमजोर, पिछड़े, वंचित वर्ग की स्थिति का प्रारम्भ से लेकर वर्तमान तक आईना दिखाने का प्रयास किया गया है तथा वर्तमान में अभी भी इन वर्गो के उत्थान के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। सामाजिक सहयोग वर्गो के विभाजन को समाप्त करने के लिए अत्यधिक आवश्यक है।

संदर्भ:

1. सुभाष कश्यप हमारी संसद पेज नं. 12
2. मिश्रा जितेन्द्र, इक्वीलिटी बनाम जस्टिस (नई दिल्ली- डीप एण्ड डीप पब्लिकेशन) पेज 117
3. वेणु गोपाल. पी. सोशल जस्टिस एण्ड रिजर्वेशन (एम्लर्ड पब्लिकेशन 1998) पेज 45
4. ए.के. अधिकारी, कस्टूमरी लॉ अमोंग जौंग ऑफ़ औरिशा, 107 पेज 115
5. अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, (2008) 6 एस.सी.सी. पेज 6
6. पी. ईश्वर भट्ट "बिलाईटल नोट कोन्स्टीटयूनीलिज्म" एसबीआरआरएम जर्नल ऑफ़ लॉ
7. अग्रवाल फण्डामेन्टल राइट्स एण्ड कोन्स्टीटयूशनल रेमेडीज, वॉल्यूम 1
8. सी. कन्हैयालाल सोशल रीफोर्म मूवमेन्ट एण्ड ज्योतिबा फुले नई दिल्ली, 2006
9. कृष्णा अय्यर वीआर "जस्टिस ऑफ़ लॉ एण्ड लाईफ" 1979
10. कृष्णा अय्यर वीआर "जस्टिस" इण्डियन सोशल लाईफ 1980

Corresponding Author

Gaurav Chaudhary*

Research Scholar, Law Department, Mahatma Jyotiba Rao Phule University, Jaipur, Rajasthan

www.ignited.in